The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 2 | February 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

समकालीन समाज में पुरुष विमर्श की प्रासंगिकता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

वरुण कुमार मिश्रा (शोधार्थी)

हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.18900046

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 22-02-2026

Published: 10-03-2026

Keywords:

पुरुष विमर्श, पितृसत्तात्मक, प्रासंगिकता, पुरुषवाद, नारी विमर्श

ABSTRACT

पुरुष के जीवन को केवल शोषक या सत्ताधारी के रूप में नहीं, बल्कि मानव के रूप में देखा जाना चाहिए। समय के अनुसार परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मनुष्य को लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री—इन दो भागों में बांटा गया है। माना जाता है कि जब से पृथ्वी पर नारी की उत्पत्ति हुई, तब से पुरुषों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। यह कितना सत्य है और कितना झूठ, यह कहा नहीं जा सकता। सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं, स्त्रियों ने भी स्त्रियों का शोषण किया है।बीसवीं सदी में **'स्त्री विमर्श'** की अवधारणा का प्रवर्तन हुआ। इसमें न केवल स्त्रियों ने, बल्कि पुरुषों ने भी नारी-शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। बहुत सारे आंदोलन और क्रांतियाँ हुईं, जिसके फलस्वरूप स्त्रियों ने सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समानता के अधिकार को प्राप्त किया। इन सबसे स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ और साहित्य में स्त्री विमर्श की परंपरा की जैसे बाढ़ सी आ गई। इसी 'बाढ़' में (प्रतिस्पर्धा के दौरान), स्त्रियों ने पुरुषों से समानता करने के चक्कर में कई प्रकार की नकारात्मक आदतों को भी अपना लिया है। स्त्रियों द्वारा धूम्रपान और मदिरापान आदि करना शुरू कर दिया गया है, जो स्वास्थ्य, संस्कृति और समाज के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। पुरुषों से समानता प्राप्त करते-करते आज यह देखा जा रहा है कि स्त्रियाँ अपने वास्तविक मार्ग से भटक गई हैं। इसी के फलस्वरूप, जो कानूनी अधिकार स्त्रियों को प्रदान किए गए थे, उनका स्त्रियों द्वारा ही अनैतिक प्रयोग किया जाने लगा है। जो कानूनी अधिकार स्त्रियों को इसलिए प्रदान किए गए थे कि उनका शोषण न होने पाए और शोषण करने वाले को कानून के माध्यम से दंड

दिया जाए (जिससे शोषण करने वाले के मन में भय व्याप्त हो), परंतु कुछ स्त्रियों द्वारा इस कानून को पुरुषों के विरुद्ध एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। पुरुषों के हालात देखकर अब 21वीं सदी में 'पुरुष विमर्श' की चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो गया है।

मूल आलेख

नारी विमर्श के उपरांत, स्त्रियों में उत्पन्न विचारधारा की अधिकता के कारण पुरुषों का एक बड़ा वर्ग चिंता, हीन भावना तथा तनाव जैसी स्थितियों का शिकार होने लगा है। पुरुष, नारी अतिक्रमण से क्षुब्ध होकर आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं।

समाज में बनी अवधारणा—**"मर्द को दर्द नहीं होता"**—के मुख्य कारण पुरुष समाज में अपना दुखड़ा सुनाकर रो भी नहीं सकता है। अगर पुरुष समाज के सामने अपना दुख व्यक्त करता है, तो समाज उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाने लगता है। जब पुरुष अपनी व्यथा को झेल पाने में असमर्थ हो जाता है, तो वह आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा लेता है।

पुरुष विमर्श की प्रासंगिकता

आज के समय में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि स्त्रियों के अधिकारों के साथ-साथ पुरुषों के विषय में भी विमर्श किया जाए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में पुरुषों द्वारा आत्महत्या का एक मुख्य कारण वैवाहिक समस्या है। NCRB के अनुसार, हर साल लगभग 1 लाख विवाहित पुरुष अपनी वैवाहिक समस्याओं के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। वास्तव में, महिलाओं के साथ-साथ निर्दोष पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी कड़े कानून होना आवश्यक है।

आज भी समाज की अवधारणा यही है कि अगर पुरुष पैसा न कमाए, तो उसे 'नकारा' और 'बेरोजगार' जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। वहीं दूसरी ओर, स्त्री चाहे कुछ भी न कमाए, फिर भी उसे कुछ नहीं कहा जाता है |समानता और बराबरी की दृष्टि से यह सही प्रतीत नहीं होता। पुरुषों पर यह बोझ डाल दिया जाता है कि उनका कर्तव्य अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना है, चाहे वह जैसे भी करें। परंतु, यदि पत्नी कमा भी रही हो, तो भी पुरुष उस पैसे को नहीं ले सकता क्योंकि समाज में ऐसे पुरुषों को हेय दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें 'पत्नी की कमाई खाने' का ताना दिया जाता है।

कानूनी विसंगतियां और चुनौतियां

समाज के साथ-साथ कानून भी एक ओर स्त्रियों को पुरुष से भरण-पोषण (Alimony) प्राप्त करने का अधिकार देता है। लेकिन, यदि पुरुष बेरोजगार हो और पत्नी कमा रही हो, तो पुरुष भरण-पोषण पाने का अधिकारी नहीं होता। कई बार स्त्रियां स्वयं पुरुषों को नीचा दिखाती हैं और यह कहकर धिक्कारती हैं कि **"यह पुरुष लड़की की कमाई खाता है"**।इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि 'पुरुष विमर्श' पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या बराबरी और समानता का यही मतलब होता है? बराबरी के लिए केवल अधिकारों का ही नहीं, बल्कि कर्तव्यों का होना भी आवश्यक है।इस बात पर भी विमर्श करना नितांत आवश्यक हो गया है कि जो कानूनी अधिकार महिलाओं को समानता देने और शोषण के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, उनका दुरुपयोग न किया जाए। क्योंकि महिलाओं द्वारा दर्ज क्रूरता (Section 498A आदि) के मामलों में औसत दोषसिद्धि (Conviction Rate) केवल **15.7%** ही है।

कम दोषसिद्धि दर इस बात का प्रमाण है कि यह कानून प्रतिशोध या जबरन वसूली का एक उपकरण बन गया है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि अब 'पुरुष विमर्श' की अवधारणा को लाया जाए, जिससे पुरुषों पर हो रहे अत्याचारों से उन्हें बचाया जा सके। इस विमर्श का उद्देश्य यह कदापि नहीं है कि स्त्री विमर्श न हो।"बराबरी का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि **कर्तव्यों** का समान होना भी है। इस बात पर विमर्श करना नितांत आवश्यक है कि कानूनी सुविधाएं समानता और शोषण के विरुद्ध समान रूप से लागू हों, न कि इनका दुरुपयोग हो। इसलिए स्त्री के साथ-साथ **पुरुष विमर्श** की आवश्यकता भी हो गई है।

- **झूठे मामलों के खिलाफ चेतावनी:** कोर्ट ने वैवाहिक कानूनों (जैसे 498A, धारा 377 या 406 IPC) के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा है कि इन्हें 'दबाव डालने वाले हथियार' के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

•घरेलू हिंसा के झूठे आरोप: पुरुष और उनके रिश्तेदारों को झूठे **झूठे मामलों के खिलाफ चेतावनी:** कोर्ट ने वैवाहिक कानूनों (जैसे 498A, धारा 377 या 406 IPC) के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा है कि इन्हें 'दबाव डालने वाले हथियार' के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

•घरेलू हिंसा के झूठे आरोप: पुरुष और उनके रिश्तेदारों को झूठे मामलों में फंसाकर वैवाहिक कानून के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कड़ी नाराजगी जाहिर की है, जो पुरुषों के अधिकारों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- मामलों में फंसाकर वैवाहिक कानून के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कड़ी नाराजगी जाहिर की है, जो पुरुषों के अधिकारों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हरिशंकर परसाई जी का कथन है, "पुरुष रोता नहीं है, पर जब वह रोता है तो रोम-रोम से रोता है। उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है।" आज के समय में ही केरल में घटी घटनाएँ पुरुष विमर्श की आवश्यकता को पूर्ण समर्थन देती हैं। जिस तरह से सिर्फ कुछ व्यूज़ (views) और सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए किसी पुरुष पर **झूठा आरोप** लगाया जाता है, वैसे बहुत से मामले आज समाज में दिखाई पड़ रहे हैं। आज महिला शादी करके पुरुष से भरण-पोषण के नाम पर अनुचित माँग की जाती है। अगर महिला सक्षम है और उसके पास कमाई के पर्याप्त साधन हैं, तब भी वह भरण-पोषण की अनिवार्य माँग करती है। अगर पुरुष कुछ नहीं कर पा रहा है, तो न तो यह समाज और न ही यह कानून उसे कोई अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी पत्नी से भरण-पोषण माँग सके।महिला द्वारा बराबरी की माँग तो की जाती है, लेकिन अक्सर अपने फायदे के अनुसार ही बराबरी की बात होती है।

अवधारणा: पुरुष विमर्श और पितृसत्ता

पुरुष विमर्श का अर्थ 'पुरुषवाद' से नहीं है, बल्कि यह इस बात का अध्ययन है कि **पितृसत्तात्मक व्यवस्था** महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी प्रभावित करती है।

1. **पितृसत्ता का बोझ:** पुरुष पर हमेशा 'मजबूत' और 'कमाने वाला' दिखने का सामाजिक दबाव रहता है।
2. **भावनात्मक शून्यता:** समाज द्वारा पुरुष को रोने या अपनी भावनाएँ व्यक्त करने से रोकना।
3. **संबंधों का संकट:** बदलती स्त्री के साथ तालमेल बिठाने में पुरुष की मानसिक उलझन।

निष्कर्ष

"एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए पुरुषत्व (Masculinity) की परिभाषा को अधिक व्यापक, संवेदनशील और लचीला बनाने की अत्यंत आवश्यकता है।"

सच्ची समानता तभी संभव है जब हम केवल एक पक्ष के अधिकारों की बात न करके, दोनों लिंगों के प्रति सहानुभूति रखें। जहाँ महिलाओं को सुरक्षा और अवसर चाहिए, वहीं पुरुषों को भी एक ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहाँ उन पर केवल 'मशीन' बनने का दबाव न हो। जब तक समाज पुरुष की भावनाओं और उसकी मानसिक स्थिति को सम्मान नहीं देगा, तब तक लैंगिक न्याय की अवधारणा अधूरी रहेगी। आपसी समझ और संवेदनशीलता ही एक संतुलित भविष्य की नींव है।

संदर्भ:

- **आधा गाँव (राही मासूम रज़ा):** यहाँ ग्रामीण परिवेश में पुरुष की अस्मिता, उसके सामंती गौरव और उसके पतन की कहानी है।
- **जिंदगीनामा (कृष्णा सोबती):** इसमें पंजाब की संस्कृति के बहाने पुरुष के पौरुष, उसकी सामूहिकता और संघर्षों की झलक मिलती है।
- **पहला गिरमिटिया (गिरिराज किशोर):** महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित यह उपन्यास एक पुरुष के 'महापुरुष' बनने की प्रक्रिया और उसके आंतरिक संघर्षों को दर्शाता है।
- **शेष कादंबरी (अलका सरावगी):** इसमें पुरुष पात्रों के माध्यम से पुरानी पीढ़ी के पुरुषों की बदलती मानसिक स्थिति और उनके भावनात्मक खालीपन को उकेरा गया है।
- **'एक पति के नोट्स' (महेन्द्र भल्ला):** यह उपन्यास बहुत बारीकी से एक पुरुष के घरेलू जीवन, उसके संदेहों और उसकी संवेदनशीलता को सामने लाता है।

- **कठगुलाब (मृदुला गर्ग):** इस उपन्यास में विभिन्न पुरुष पात्रों के माध्यम से पुरुषत्व की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी गई है और दिखाया गया है कि पुरुष भी व्यवस्था का शिकार होता है.

- **अंधेरे बंद कमरे:** इस उपन्यास में पुरुष अपने ही बनाए गए मानसिक घेरों में कैद और तनाव में दिखाई देता है.
- **सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय: 'नदी के द्वीप'** एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो यौन संबंधों के केंद्र में रहकर पुरुष की आंतरिक दुनिया दिखाता है।

- **ममता कालिया: 'दौड़'** (2000) उपन्यास आधुनिक युग में पैसे और सफलता की अंधी दौड़ में मानवीय संबंधों के बदलते स्वरूप को दर्शाता है।

- **कमलेश्वर के उपन्यास: 'तीसरा आदमी', 'काली आंधी'** और 'वही बात' में वैवाहिक संबंधों के टूटने और पुरुष के अकेलेपन को दर्शाया गया है।

- **संजीव के उपन्यास: 'सूत्रधार' (2003), 'फांस' (2015) और 'प्रत्यंचा' (2018)** आधुनिक समय में पुरुष पात्रों के संघर्ष को चित्रित करते हैं।

- **'बदलते दौर में पुरुष' (विभिन्न लेख):** पत्रिकाओं जैसे *'हंस'*, *'तद्भव'* और *'वागर्थ'* में समय-समय पर पुरुष विमर्श पर विशेष लेख प्रकाशित होते रहे हैं, जो पुरुष की बदलती भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।
- **•राजेंद्र यादव उपन्यास:'सारा आकाश'** एक युवा पुरुष के विवाह के बाद का द्वंद्व, आर्थिक असुरक्षा और परिवार के भीतर अपनी पहचान बनाने का संघर्ष।